उत्तर प्रदेश शासन,
वन अनुभाग–4
संख्या–1663 / 14–4–2013–509 / 2013
लखनऊ, दिनांक,29अगस्त, 2013

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश में ईको पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ईको पर्यटन के विकास के संबंध में कई योजनाएं प्रारम्भ की गयी हैं। ईको पर्यटन के क्षेत्र में कई आधारभूत सुविधाओं के विकास की अत्यधिक आवश्यकता है, और योजनाओं के कियान्वयन / संचालन के लिए कोई नोडल इकाई न होने के कारण प्रदेश में ईको पर्यटन संबंधी नीति बनाने व अन्य संबंधी कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है। उक्त संबंध में सम्यक विचारोपरान्त यह उपयुक्त पाया गया कि प्रदेश में ईको पर्यटन के विकास संबंधी कार्यों के लिए एक नोडल इकाई / संस्था नामित की जाय।

2– उ0प्र0 वन निगम अधिनियम, 1974 के नियम–14 ई अध्याय–3 के अनुसार निगम ऐसे समस्त कार्य कर सकता है, जो राज्य सरकार द्वारा निगम को सौंपे जॉय। इसके अतिरिक्त शासनादेश सं0–1684 / 14–4–91 (18) 80 टीसी दिनांक 26.04.1991 द्वारा उ0प्र0 वन निगम के कार्यों में वन्य जीव प्रदर्शन / संरक्षण तथा वन्य प्राणि उद्यानों का रख–रखाव, राष्ट्रीय उद्यानो की सुरक्षा एवं उनका विकास तथा जन कल्याणकारी गतिविधियों से संबंधित योजनाओं का भी कार्य प्रदान किया गया है।

3– अतः प्रदेश में ईको पर्यटन संबंधी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 वन निगम को ईको पर्यटन संबंधी कार्यों को आवंटित करते है।

4– उ0प्र0 वन निगम प्रदेश सरकार के सामान्य अथवा विशिष्ट निर्देशों के अन्तर्गत ईको–पर्यटन संबंधी कार्य को संपादित करेंगे। उ0प्र0 वन निगम द्वारा ईको–पर्यटन संबंधी कार्यों के नियोजन, निरूपण एवं कियान्वयन हेतु समय–समय पर योजना बनाकर संचालित की जायेगी।

(वी0एन0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1663(1) / 14–4–2013–509 / 2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0,लखनऊ।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0,लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त की प्रति समस्त संबंधित को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(संजय सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–3575/14–4–2014

प्रेषक,

वी0एन0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
वन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख वन संरक्षक,
उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव
उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 वन निगम,
उ0प्र0 लखनऊ।

वन अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक 30 सितम्बर, 2014

विषय– उ0प्र0 इको टूरिज्म पॉलिसी 2014 के कियान्वयन हेतु अनुश्रवण की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–3251/चौदह–4–2014–509/2013 टी0सी0 दिनांक 07.08.2014 द्वारा प्रदेश में ईको पर्यटन सम्बन्धी कार्यों को बढ़ावा देने हेतु उ0प्र0 ईको पर्यटन नीति–2014 (उ0प्र0 ईको टूरिज्म पॉलिसी–2014) निर्गत की गयी है। उक्त नीति का समयबद्ध कियान्वयन एवं अनुश्रवण किए जाने पर सम्यक विचारोपरान्त "ईको टूरिज्म नीति कियान्वयन एव अनुश्रवण समिति" का निम्नवत् गठन किया जाता हैः–

1.	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग उ0प्र0 शासन	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 शासन	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, गैर पारम्परिक ऊर्जा, उ0प्र0 शासन	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
11.	प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य
12.	प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य
13.	प्रबन्ध निदेशक, वन निगम, उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य सचिव

ईको पर्यटन के विकास से सम्बन्धित कार्यों को कियान्वयन का अनुश्रवण उपरोक्त समिति द्वारा किया जायेगा। इस हेतु समिति द्वारा वर्ष में कम से कम 03 बैठकें अवश्य सुनिश्चित की जायेगी।

2. ईको पर्यटन नीति (Eco Tourism policy) के दृष्टिगत कियान्वयन एवं अनुश्रवण की कार्यवाही सम्पादनार्थ नोडल विभाग की आवश्कता के दृष्टिगत प्रमुख वन संरक्षक, (वन्यजीव) को नोडल अधिकारी/अध्यक्ष नामित किया जाता है, जिससे निम्नलिखित अधिकारीगण होगें:-

1.	प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0 लखनऊ	अध्यक्ष
2.	अपर प्रबन्ध निदेशक, वन निगम, उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य
3.	मुख्य वन संरक्षक, आगरा क्षेत्र आगरा	सदस्य
4.	मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर मण्डल मिर्जापुर	सदस्य
5.	मुख्य वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, दुधवा टाइगर, रिजर्व, लखीमपुर खीरी	सदस्य
6.	क्षेत्रीय प्रबन्ध, ईको-पर्यटन, उ0प्र0 वन निगम	सदस्य
7.	मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास, उ0प्र0	सदस्य सचिव

उरोक्तानुसार नोडल विभाग का यह दायित्व होगा कि वह प्रदेश में निहित प्राकृतिक धरोहरों-सांस्कृतिक एवं धार्मिक, प्राकृति जैविक सम्पदा का चिन्हॉकन कर उनके विकास की योजनाओं का निरूपण ईको पर्यटन नीति-2014 में निहित व्यवस्था की दिशा निर्देशों के अन्तर्गत सुनिश्चित करेगें। नोडल विभाग कार्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु मासिक बैठकें सुनिश्चित करेगें।

कृपया उपरोक्त आदेशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(वी0एन0 गर्ग)
प्रमुख सचिव,

संख्या............तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग उ0प्र0 शासन	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 शासन	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, गैर पारम्परिक ऊर्जा, उ0प्र0 शासन	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
11.	प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य
12.	प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य
13.	प्रबन्ध निदेशक, वन निगम, उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य सचिव
14	प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0 लखनऊ	अध्यक्ष
15	अपर प्रबन्ध निदेशक, वन निगम, उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य
16	मुख्य वन संरक्षक, आगरा क्षेत्र आगरा	सदस्य
17	मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर मण्डल मिर्जापुर	सदस्य
18	मुख्य वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,	सदस्य
19	दुधवा टाइगर, रिजर्व, लखीमपुर खीरी	सदस्य
20	क्षेत्रीय प्रबन्ध, ईको-पर्यटन, उ0प्र0 वन निगम	सदस्य
21	मुख्य वन संरक्षण, ईको विकास, उ0प्र0	सदस्य सचिव

आज्ञा से,

G.O. letter(p)